



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी-अलवर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2019/00087

दर्ज तिथि:- 28.06.2019

1. मूला पुत्र छीतर उम्र 55 साल
2. महादेव पुत्र छीतर उम्र 52 साल
3. बनवारी पुत्र छीतर उम्र 48 साल
4. रामनिवास पुत्र छीतर उम्र 50 साल
5. पांचा पुत्र छीतर उम्र 45 साल

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान कोलाकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
.....वादीगण

बनाम

1. मातादीन पुत्र बसंता उम्र 35 साल
2. हनुमान पुत्र बसंता उम्र 33 साल
3. कालूराम पुत्र बसंता उम्र 30 साल
4. भोलाराम पुत्र बसंता उम्र 27 साल

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान कोलाकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
..... प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ता:- श्री डी0पी0दीक्षित
प्रतिवादीगण :- श्री महेन्द्र शर्मा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:- 03.07.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा नंबर 368/0.46 है0, 369/0.13 है0, 376/0.14 है0, 381/1.10 है0, 382/0.27 है0, 383/0.09 है0, 414/0.14 है0 कित्ता 07 रकबा 2.33 है0 वाके ग्राम कोला का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त



वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामिली कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन-वकालतन उपस्थित हुए तथा राजीनामा पेश कर दावा वादी तकासमा किये जाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण में कोई विवादक नहीं होने के कारण प्रथम सुनवाई पर निस्तारित किये जाने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-15 नियम-1 का उद्धरण इस प्रकार है:-

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

1. *Parties not at issue.* —Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.
3. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। बाद बहस वाद पत्र को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 01.03.2023 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की।
4. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति जाहिर की। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा दी गई सहमति पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2069-2072 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा नंबर 368/0.46 है0, 369/0.13 है0, 376/0.14 है0, 381/1.10 है0, 382/0.27 है0, 383/0.09 है0, 414/0.14 है0 किता 07 रकबा 2.33 है0 वाके ग्राम कोला का बास तहसील थानागाजी के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संयुक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के तहत विश्लेषण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैं:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर नंबर 368/0.46 है0, 369/0.13 है0, 376/0.14 है0, 381/1.10 है0, 382/0.27 है0, 383/0.09 है0, 414/0.14 है0 कित्ता 07 रकबा 2.33 है0 वाके ग्राम कोला का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम

करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
पांच्या, बनवारी, मूला, महादेव, रामनिवास पिता छीतर जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार राहिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा नारायणपुर	368 / 1	0.36 है०	चाही द्वितीय	
	369	0.13 है०	चाही द्वितीय	
	381 / 2	0.01 है०	गै० मु० बोरिंग	
	381 / 3	0.56 है०	चाही द्वितीय	
	381 / 6	0.06 है०	चाही द्वितीय	
	414 / 1	0.07 है०	चाही द्वितीय	
किता 06 रकबा 1.19 है०				23.80
मातादीन, हनुमान, कालूराम, भोलाराम पिता बसन्ता, मिश्री देवी, सूरजी, दडकी, फूली, लड्डो देवी पुत्रियान बसन्ता जाति गुर्जर सम भाग सा० देह खातेदार राहिन सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा नारायणपुर	414 / 2	0.07 है०	चाही द्वितीय	
	368 / 2	0.10 है०	चाही द्वितीय	
	376	0.14 है०	चाही द्वितीय	
	381 / 1	0.26 है०	चाही द्वितीय	
	381 / 5	0.18 है०	चाही द्वितीय	
	382	0.27 है०	चाही द्वितीय	
किता 06 रकबा 1.02 है०				20.40
पांच्या, बनवारी, मूला, महादेव, रामनिवास पिता छीतर जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार राहिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा नारायणपुर	381 / 4	0.03 है०	गैर मुमकिन रास्ता	
मातादीन, हनुमान, कालूराम, भोलाराम पिता बसन्ता, मिश्री देवी, सूरजी, दडकी, फूली, लड्डो देवी पुत्रियान बसन्ता जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 सा० देह खातेदार राहिन सैन्ट्रल बैंक				

ऑफ इंडिया शाखा नारायणपुर				
-----------------------------	--	--	--	--

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कृषि कार्य में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी नहीं बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी-अलवर

सत्यमेव जयते

थानागाजी-अलवर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी-अलवर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2019/00087

दर्ज तिथि:- 28.06.2019

1. मूला पुत्र छीतर उम्र 55 साल
 2. महादेव पुत्र छीतर उम्र 52 साल
 3. बनवारी पुत्र छीतर उम्र 48 साल
 4. रामनिवास पुत्र छीतर उम्र 50 साल
 5. पांचा पुत्र छीतर उम्र 45 साल
- समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान कोलाकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
.....वादीगण

बनाम

1. मातादीन पुत्र बसंता उम्र 35 साल
 2. हनुमान पुत्र बसंता उम्र 33 साल
 3. कालूराम पुत्र बसंता उम्र 30 साल
 4. भोलाराम पुत्र बसंता उम्र 27 साल
- समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान कोलाकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
..... प्रतिवादीगण

उपस्थित

वादी अधिवक्ता:- श्री डी0पी0दीक्षित
प्रतिवादीगण :- श्री महेन्द्र शर्मा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर नंबर 368/0.46 है0, 369/0.13 है0, 376/0.14 है0, 381/1.10 है0, 382/0.27 है0, 383/0.09 है0, 414/0.14 है0 कित्ता 07 रकबा 2.33 है0 वाके ग्राम कोला का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम

करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
पांच्या, बनवारी, मूला, महादेव, रामनिवास पिता छीतर जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार राहिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा नारायणपुर	368 / 1	0.36 है०	चाही द्वितीय	
	369	0.13 है०	चाही द्वितीय	
	381 / 2	0.01 है०	गै० मु० बोरिंग	
	381 / 3	0.56 है०	चाही द्वितीय	
	381 / 6	0.06 है०	चाही द्वितीय	
	414 / 1	0.07 है०	चाही द्वितीय	
किता 06 रकबा 1.19 है०				23.80
मातादीन, हनुमान, कालूराम, भोलाराम पिता बसन्ता, मिश्री देवी, सूरजी, दडकी, फूली, लड्डो देवी पुत्रियान बसन्ता जाति गुर्जर सम भाग सा० देह खातेदार राहिन सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा नारायणपुर	414 / 2	0.07 है०	चाही द्वितीय	
	368 / 2	0.10 है०	चाही द्वितीय	
	376	0.14 है०	चाही द्वितीय	
	381 / 1	0.26 है०	चाही द्वितीय	
	381 / 5	0.18 है०	चाही द्वितीय	
	382	0.27 है०	चाही द्वितीय	
किता 06 रकबा 1.02 है०				20.40
पांच्या, बनवारी, मूला, महादेव, रामनिवास पिता छीतर जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार राहिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा नारायणपुर	381 / 4	0.03 है०	गैर मुमकिन रास्ता	
मातादीन, हनुमान, कालूराम, भोलाराम पिता बसन्ता, मिश्री देवी, सूरजी, दडकी, फूली, लड्डो देवी पुत्रियान बसन्ता जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 सा० देह खातेदार राहिन सैन्ट्रल बैंक				

ऑफ इंडिया शाखा नारायणपुर				
-----------------------------	--	--	--	--

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कृषि कार्य में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी नहीं बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे-इजलास सुनायी गयी।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी-अलवर

सत्यमेव जयते

थानागाजी-अलवर